न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी– अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
138 / 2022	06.10.2022	04.04.2023

अनवान

1. बाबुखां पिता यार मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. अली मोहम्मद पिता यार मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. राजबाई पुत्री यार मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. रूकैया पुत्री यार मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. ईशाक मोहम्मद पिता यार मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. अकबर खां पिता अब्बु खां जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. अब्बास खां पिता अब्बु खां जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. कंचन पुत्री अब्बु खां जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. कल्लु खां पिता अब्बु खां जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. नुर मोहम्मद पिता अब्बु खां जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. नीसम पुत्री अब्बु खां जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. नोसियाद पुत्री अब्बु खां जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. फातमा पुत्री अब्बु खां जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. सोमीबाई पुत्री अब्बु खां जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. भगवानलाल पिता हीरा जाति गाडिया आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. रामचन्द्र पिता चम्पालाल जाति [illegible] आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. हरिराम पिता रूपा जाति धोबी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
14. नत्थे खां पिता अमीर खां जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. बालु पिता नवलराम जाति खटीक आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:03:08 IST
Reason: SelfAttested

16. शरीफ खां पिता सुलतान खां जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
17. नन्हे खां पिता सुलतान खां जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
18. मांगीलाल पिता उकार जाति धोबी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
19. उदी पत्नी उंकार लाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
20. रामलाल पिता उकार जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
21. उदयलाल पिता प्रथा जाति धोबी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
22. कालु पुत्र प्रथा जाति धोबी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
23. कौशल्या पत्नी शंकर जाति धोबी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
24. गोपाललाल पिता प्रथा जाति धोबी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
25. चांदीबाई पत्नी मांगु जाति धोबी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
26. झमकु पत्नी उंकार जाति धोबी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
27. देवीलाल पिता उंकार जाति धोबी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
28. नन्दु पत्नी प्रथा जाति धोबी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
29. पप्पु पिता शंकर जाति धोबी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
30. प्रवीण पुत्र भैरूलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
31. पारसदेवी पत्नी भैरूलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
32. भैरूलाल पिता उंकार जाति धोबी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
33. रता पुत्र रामा जाति धोबी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
34. रमेश पुत्र मोडा जाति धोबी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र भाम्बी — प्रार्थीगण

एक तरफा — अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:03:08 IST
Reason: SelfAttested

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा उमण्ड पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 14 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1763, 1764, 1765, 1781 कुल किता 4 कुल रकबा 0.22 है0, खाता संख्या 15 की आराजी संख्या 1766, 1768 मी., 1776, 1777, 1782, 1785, 1787 कुल किता 7 कुल रकबा 3.86 है0, प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के

पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 04.04.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 से 34 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा उमण्ड पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 14 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1763, 1764, 1765, 1781 कुल किता 4 कुल रकबा 0.22 है0, खाता संख्या 15 की आराजी संख्या 1766, 1768 मी., 1776, 1777, 1782, 1785, 1787 कुल किता 7 कुल रकबा 3.86 है0, कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:03:08 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official